

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:- एफ.3(1)साप्र/2/2013-पार्ट

जयपुर, दिनांक 20 JUN 2013

-: आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.5.2013 के द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये राजकीय आवासों का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	5/2010	श्री ललित कुमार कनिष्ठ लेखाकार वित्त अंकेक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	II/a, गांधीनगर जयपुर।	30.4.2024
2.	22/2010	श्री नौरंग सहाय कार्यक्रम सहायक एस.एस.ए कार्यालय जिला अतिरिक्त समन्वय सर्वशिक्षा अभियान, जयपुर।	ई-921, गांधीनगर, जयपुर।	31.7.2025

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
- 2 निदेशक, सन्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- 3 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 जिला अतिरिक्त समन्वय, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
- 6 कोषाधिकारी कोष कार्यालय शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
- 7 संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
- 8 अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/ जयपुर वि०वि० निगम लि० गांधीनगर, जयपुर।
- 9 प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
- 10 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड में चस्पा करावें।
- 11 श्री ललित कुमार कनिष्ठ लेखाकार वित्त अंकेक्षण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त की तिथि से नियम 11(III)ए के तहत छः माह पश्चात् बहुमंजिला आवास हेतु विचारणीय होगा।
- 12 श्री नौरंग सहाय कार्यक्रम सहायक एस.एस.ए कार्यालय जिला अतिरिक्त समन्वय सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश निरस्त की तिथि से नियम 11(III)ए के तहत छः माह पश्चात् भूतल गांधीनगर हेतु विचारणीय होगा।
- 13 निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 14 शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
- 15 अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
- 16 रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव